संख्या-1/2015/3001 सी0डी0/46-3-14-1000(77)/2014

प्रेषक ,

राम मोहन सक्सेना
विशेष् सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी,
सहारनपुर, मुज़फ्फरनगर, शामली, मेरठ, मुरादाबाद, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, लखीमपुर, बलरामपुर,बहराइच,गोण्डा तथा महराजगंज, उत्तर प्रदेश।

चीनी उद्योग अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 02 जनवरी, 2015

विषय-अंशदायी आधार पर चीनी मिल क्षेत्रों में निर्मित सम्पर्क मार्गों का सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्निर्माण (जिला योजना) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में कार्ययोजना की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-2167सी0डी0/46-3-14-1000(77)/2014, दिनांक 24 सितम्बर, 2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चीनी मिलों के सुरक्षित क्षेत्रों में यातायात की सुगम व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-23 (सामान्य/आयोजनागत पक्ष) में अंशदायी आधार पर चीनी मिल क्षेत्रों में निर्मित सम्पर्क मार्गों का सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्निर्माण (जिला योजना) के अन्तर्गत शासनादेश के संलग्नक में उल्लिखित 23 कार्यों हेतु उनके सामने कालम-6 में अंकित लागत की धनराशि के अनुसार कुल रू0 6,53,68,000.00 (रू0 छ करोड़ तिरपन लाख अडसठ हजार मात्र) की कार्ययोजना का प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करते हुये चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से, योजना हेतु निर्धारित फण्डिंग पैटर्न के अनुसार, प्राविधानित 80 प्रतिशत शासकीय अंशदान की धनराशि रू0 5,00,00,000.00 (रू0 पांच करोड़ मात्र) **संलग्न विवरण के अनुसार** अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति, इस शर्त के साथ प्रदान करते हैं कि जनपद विशेष में उसी सीमा तक धनराशि आहरित की जायेगी, जिस सीमा तक जनपद की जिला योजना में परिव्यय का प्रावधान/आवंटन किया गया है।

2- जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी द्वारा संबंधित गन्ना संस्थाओं से अपेक्षित 20 प्रतिशत अंश प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा शासकीय अंश का भुगतान तभी किया जायेगा जबकि सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित किये गये आगणनों के अनुसार ही व्यय किया गया होने की पुष्टि कर दी जाय।

3- प्रस्तर-1 में उल्लिखित कार्ययोजना के अनुसार स्वीकृत कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है। यदि द्विरावृत्ति पायी जाती है तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुये संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित कर दी जाये।

4- कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण उपरान्त प्रस्तावित प्रायोजना की विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति तथा सड़कों के आगणनों के संबंध में सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त अनुमोदित धनराशि के सापेक्ष सड़कों का निर्माण कार्य कराया जायेगा। विस्तृत आगणन

------2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

यदि मूल आगणन से उल्लेखनीय रूप से भिन्न होते है तो कार्य की वास्तविक लागत को शासन से अनुमोदित कराया जाना अपेक्षित होगा।

5- स्वीकृत कार्यों हेतु चयनित भूमि के संबंध में यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि वह भूमि निर्विवादित हो। यदि किसी विभाग अथवा संस्था के क्षेत्र में सड़क के निर्माण हेतु भूमि का चयन किया जाता है तो संबंधित विभाग/संस्था की अनापत्ति कार्य प्रारम्भ के पूर्व अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

6- कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी भी कार्यदायी संस्था की होगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा की अवधि में ही पूर्ण हो जाय। निहित प्रयोजन हेतु उपयोग से यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे व्यय करने के संबंध में प्रस्तर-1 के अनुसार शासकीय अंशदान के सापेक्ष विभागीय अंशदान को सम्मिलित करते हुये जिला अनुश्रवण समिति से कार्ययोजना स्वीकृत कराकर उस पर शासन का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करते हुये अतिरिक्त कार्य कराया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में अवशेष धनराशि चालू वित्तीय वर्ष में ही वित्त विभाग को समर्पित की जायेगी।

7- समस्त कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था गन्ना विकास विभाग की अभियन्त्रण शाखा होगी। समस्त कार्य निर्धारित एवं अनुमोदित मानकों तथा विशिष्टियों एवं मात्रा के अनुरूप चालू वित्तीय वर्ष में ही सम्पादित कराये जाय। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाये।

8- वर्तमान में प्रभावी शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75 दिनांक 25.01.2011 की व्यवस्थानुसार सेण्टेज चार्जेज की धनराशि अनुमन्य होगी।

9- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि में से संलग्नक के स्तम्भ-8 में अंकित सेन्टेज की धनराशि जिला गन्ना अधिकारी द्वारा कोषागार से आहरित कर सीधे ही कार्यदायी संस्था अभियन्त्रण शाखा, गन्ना विकास विभाग, उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जायेगी तथा स्तम्भ-9 में अंकित धनराशि कोषागार से आहरित करते हुये गन्ना विकास परिषदों को स्वीकृत निर्माण कार्यों पर व्यय हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।

10- उक्त स्वीकृति धनराशि व्यय करने से पूर्व वित्त विभाग द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-2-3361/दस-2014-244/2014 दिनांक 28.11.2014 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014 दिनांक 22.07.2014 तथा वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों, बजट-मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों आदि के प्राविधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के व्यय के संबंध में लोक निर्माण विभाग के शासनादेश संख्या-2392/23-1-2013-72सा0/12, दिनांक 22.11.2013 द्वारा निर्गत '' उ0प्र0 ग्राम सम्पर्क मार्ग अनुरक्षण नीति, 2013'' का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद एवं गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 को उपलब्ध कराया जायेगा तथा कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी द्वारा गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 को उपलब्ध कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रत्येक माह गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 के माध्यम से शासन को नियमित रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

13- स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक पी0एल0ए0 अथवा पोस्टआफिस अथवा डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है, तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

------3

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

14- स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के कार्यस्थल पर राज्यस्तरीय टास्कफोर्स द्वारा नियम ''डिस्पले बोर्ड'' पर योजना का पूर्ण विवरण एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा कार्य पूर्ण होने की सम्भावित तिथि का उल्लेख किया जायेगा।

15- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान संख्या-23 के अन्तर्गत पूजी लेखा शीर्षक-'' 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय - आयोजनागत 04- जिला तथा अन्य सड़के-337-सड़क निर्माण कार्य- 04-चीनी मिल क्षेत्रों में निर्मित सम्पर्क मार्गों का सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्निर्माण-24-वृहत् निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

16- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-2-3361/दस-2014-244/2014 दिनांक 28.11.2014 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014 दिनांक 22-07-2014 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहें हैं।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(राम मोहन सक्सेना)
विशेष् सचिव,

संख्या-1/2015/3001(1)सी0डी0/46-3-14-1000(77)/2014-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद
3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच,अलीगंज, लखनऊ।
4- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग,उत्तर प्रदेश।
6- गन्ना आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।
8- संबंधित जनपदों से सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
9- संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी।
10- संबंधित जनपदों के कोषाधिकारी।
11- संबंधित क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त/संयुक्त गन्ना आयुक्त, उ0प्र0।
12- नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-1/2,
13- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1,
14- गार्ड फाइल।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

आज्ञा से,

(राम मोहन सक्सेना)
विशेष् सचिव,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-1/2015/3001सी0डी0/46-3-14-1000(77)/2014, दिनांक 02 जनवरी, 2015 का संलग्नक

क्र0	जनपद का नाम	सं0	सड़क का नाम	प्रस्तावित लम्बाई (कि0मी0)	आकलित लागत (लाख रूपयें में)	शासनादेश के अनुसार लागत पर देय राज्यांश (ला0रू0)	राज्यांश में शासनादेश संख्या ए-2-23/ दस-2011-17 (4)/75 दिनांक 25.01.11के द्वारा आरोपित सेन्टेज धनराशि (ला0रू0)	मार्ग के निर्माण हेतु सेन्टेज की धनराशि रहित राज्यांश (ला0रू0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सहारनपुर	1	खजूरी मार्ग से कुरडी की ओर	2.60	52.28	39.99	4.44	35.55
		1	**जनपद सहारनपुर का योग**	**2.60**	**52.28**	**39.99**	**4.44**	**35.55**
2	मुज़फ्फरनगर	1	गढ़ी बहादुरपुर से काकडा की ओर	2.00	44.43	33.99	3.78	30.21
		1	**जनपद मुज़फ्फरनगर का योग**	**2.00**	**44.43**	**33.99**	**3.78**	**30.21**
3	शामली	1	किसान इण्टर कालेज से शुगर मिल सम्पर्क मार्ग	1.70	36.51	27.93	3.10	24.83
		2	थानाभवन मसादी मार्ग से कुतुबगढ़	1.15	23.82	18.22	2.02	16.20
		3	मोर माजरा चौराहे से गाव तितारसी	1.00	21.25	16.26	1.81	14.45
		4	हसनपुर लुहारी से बाड मार्ग	1.00	21.39	16.36	1.82	14.54
		4	**जनपद शामली का योग**	**4.85**	**102.97**	**78.77**	**8.75**	**70.02**
4	मेरठ	1	मोहि0पुर सिवाल खास मार्ग से ढिडाला मार्ग	1.20	37.16	28.43	3.16	25.27
		2	ढिण्डाला से कलंजरी सम्पर्क मार्ग	3.00	62.79	48.03	5.34	42.69
		3	सरधना कालन्द रोड से महादेव मार्ग अवशेष भाग	1.30	35.36	27.05	3.01	24.04
		3	**जनपद मेरठ का योग**	**5.50**	**135.31**	**103.51**	**11.51**	**92.00**

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र0	जनपद का नाम	सं0	सड़क का नाम	प्रस्तावित लम्बाई (कि0मी0)	आकलित लागत (लाख रूपयें में)	शासनादेश के अनुसार लागत पर देय राज्यांश (ला0रू0)	राज्यांश में शासनादेश संख्या ए-2-23/ दस-2011-17 (4)/75 दिनांक 25.01.11के द्वारा आरोपित सेन्टेज धनराशि (ला0रू0)	मार्ग के निर्माण हेतु सेन्टेज की धनराशि रहित राज्यांश (ला0रू0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	मुरादाबाद	1	चक बेगमपुर से ठीकरी	1.00	37.63	28.79	3.20	25.59
		1	**जनपद मुरादाबाद का योग**	**1.00**	**37.63**	**28.79**	**3.20**	**25.59**
6	शाहजहापुर	1	बरेली रोड से शेरपुर बतलैया मार्ग	0.60	14.48	11.08	1.23	9.85
		2	खण्डसार से अम्बेडकर ग्राम बबरा	1.20	31.05	23.75	2.64	21.11
		2	**जनपद शाहजहापुर का योग**	**1.80**	**45.53**	**34.83**	**3.87**	**30.96**
7	पीलीभीत	1	बीसलपुर-बिलसण्डा रोड से पिपरगहना मार्ग तृ0 भाग	0.90	25.22	19.29	2.14	17.15
		1	**जनपद पीलीभीत का योग**	**0.90**	**25.22**	**19.29**	**2.14**	**17.15**
8	लखीमपुर	1	एन0एच0 24 से सौनौआ मार्ग	1.20	35.01	26.78	2.98	23.80
		2	बरबर मोहम्मदी मार्ग से बहादुरनगर मार्ग	0.60	17.99	13.76	1.53	12.23
		3	सिंगाही से नौरंगाबाद प्र0 भाग	1.00	28.77	22.01	2.45	19.56
		4	शारदानगर मार्ग से तेतारपुर	0.50	14.47	11.07	1.23	9.84
		4	**जनपद लखीमपुर का योग**	**3.30**	**96.24**	**73.62**	**8.19**	**65.43**
9	बलरामपुर	1	श्रीनगर देवरिया फूलपुर मार्ग से धर्मनगर मार्ग	1.00	23.46	17.95	1.99	15.96

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र0	जनपद का नाम	सं0	सड़क का नाम	प्रस्तावित लम्बाई (कि0मी0)	आकलित लागत (लाख रूपयें में)	शासनादेश के अनुसार लागत पर देय राज्यांश (ला0रू0)	राज्यांश में शासनादेश संख्या ए-2-23/ दस-2011-17 (4)/75 दिनांक 25.01.11के द्वारा आरोपित सेन्टेज धनराशि (ला0रू0)	मार्ग के निर्माण हेतु सेन्टेज की धनराशि रहित राज्यांश (ला0रू0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2	लालाडिहवा से बहादुरपुर मार्ग	1.00	25.84	19.77	2.20	17.57
		2	**जनपद बलरामपुर का योग**	**2.00**	**49.30**	**37.72**	**4.19**	**33.53**
10	बहराइच	1	नानपारा बहराइच मार्ग से सिलेटनगंज ग्राम तक	0.30	9.24	7.07	0.79	6.28
		1	**जनपद बहराइच का योग**	**0.30**	**9.24**	**7.07**	**0.79**	**6.28**
11	गोण्डा	1	गोण्डा बलरामपुर रोड से भण्हा सम्पर्क मार्ग	0.85	18.86	14.43	1.60	12.83
		2	गोण्डा उतरौला मार्ग से धनौली सम्पर्क मार्ग	0.50	11.09	8.48	0.94	7.54
		2	**जनपद गोण्डा का योग**	**1.35**	**29.95**	**22.91**	**2.54**	**20.37**
12	महराजगंज	1	निचलौल सिसवा मार्ग से भोतियाही बेलवा मार्ग पर लेपन कार्य का मरम्मत	0.90	25.58	19.51	2.17	17.34
		1	**जनपद महराजगंज का योग**	**0.90**	**25.58**	**19.51**	**2.17**	**17.34**
		23	**महायोग**	**26.50**	**653.68**	**500.00**	**55.57**	**444.43**

(रू0 पांच करोड मात्र)

आज्ञा से

(राम मोहन सक्सेना)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in